Mulazamat Ke Baare Me 15 Suwal Jawab (Hindi)

हफ़्तावार रिसाला : 329
Weekly Booklet : 329

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ के मल्फ़ूज़ात का तह़रीरी गुलदस्ता

मुलाज़मत

के बारे में 15 सुवाल जवाब

सफ़ह़ात 18

- डयूटी पर न जाना और तनख़्वाह लेना कैसा ? 02
- मुलाज़िम और सेठ के ह़ुक़ूक़ 06
- रोज़े में मुलाज़िम से आ़म दिनों की त़रह़ काम लेना 10
- सरकारी पोस्ट वाले के तह़ाइफ़ का ह़ुक्म 15

पेशकश :
मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या
(दावते इस्लामी)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

मुलाज़मत के बारे में 15 सुवाल जवाब[1]

दुआए ख़लीफ़ए अ़त्तार : या रब्बल मुस्त़फ़ा ! जो कोई 16 सफ़ह़ात का रिसाला : **''मुलाज़मत के बारे में 15 सुवाल जवाब''** पढ़ या सुन ले उसे रिज़्क़े ह़लाल कमाने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमा और उस की वालिदैन समेत बे ह़िसाब मग़्फ़िरत फ़रमा। اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النّبِیّٖن صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

दुरूदे पाक न पढ़ने का वबाल

मुसल्मानों की प्यारी प्यारी अम्मीजान, ह़ज़रते बीबी आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا सह़री के वक़्त कुछ सी रही थीं कि अचानक सूई गिर गई और चराग़ भी बुझ गया, इतने में हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم तशरीफ़ ले आए, चेह्रए अन्वर की रोशनी से सारा घर रोशन हो गया यहां तक कि सूई मिल गई, उम्मुल मुअमिनीन رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** आप का चेह्रए अन्वर कितना रोशन है ! हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : उस शख़्स के लिये हलाकत है जो मुझे क़ियामत के दिन न देख सकेगा। अ़र्ज़ की : वोह कौन है जो आप को न देख सकेगा ? फ़रमाया : वोह बख़ील (कन्जूस) है। पूछा : बख़ील कौन ? इर्शाद फ़रमाया : जिस ने मेरा नाम सुना और मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा। (القول البدیع، ص302)

1... येह रिसाला अमीरे अहले सुन्नत دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ से किये गए सुवालात और उन के जवाबात पर मुश्तमिल है।

सूज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे शाम को सुब्ह बनाता है उजाला तेरा

(ज़ौक़े ना'त, स. 25)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ على مُحَمَّد

सुवाल : एक शख़्स गवर्नमेन्ट मुलाज़िम है मगर ड्यूटी पर नहीं जाता और हर महीने पहली को तनख़्वाह ले लेता है, क्या उस का येह त़रीक़ा दुरुस्त है ? और वोह सदक़ा व ख़ैरात भी करता रहता है, क्या उस का ख़ैरात करना जाइज़ है ?

जवाब : अगर वोह ड्यूटी नहीं देता और धोके से तनख़्वाह बटोर लेता है तो येह पूरी की पूरी तनख़्वाह ह़राम है । (फ़तावा रज़विय्या, 19/407 माख़ूज़न, ह़लाल त़रीक़े से कमाने के 50 मदनी फूल, स. 20, 21 मुलख़्ख़सन) इस के ज़रीए ज़कात ख़ैरात भी नहीं कर सकता क्यूं कि येह उस के पैसे हैं ही नहीं, न येह इन का मालिक है अगर्चे इन पर क़ब्ज़ा उसी का हो, उस पर फ़र्ज़ है कि जहां से येह रक़म बटोरी (ली) है वहां वापस करे और साथ साथ तौबा भी करे । (फ़तावा रज़विय्या, 19/656, 661, मुलख़्ख़सन, मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 4/395)

सुवाल : ना बालिग़ से पानी भरवाना कैसा है ? क्या उस्ताद उस से पानी भरवा सकता है ?

जवाब : वालिदैन या सेठ जिस का येह मुलाज़िम है उस के सिवा किसी के लिये ना बालिग़ से पानी भरवाना जाइज़ नहीं और ना बालिग़ का भरा हुवा पानी जो कि शर्अ़न उस की मिल्क हो जाए किसी और के लिये उस को इस्ति'माल में लाना जाइज़ नहीं । (सेठ भी सिर्फ़ इजारे के अवक़ात ही में भरवा सकता है) उस्ताद के लिये भी येही हुक्म है कि ना बालिग़ शागिर्द से पानी नहीं भरवा सकता नीज़ उस के भरे हुए को काम में भी नहीं ला

सकता। ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہ फ़रमाते हैं : ना बालिग़ का भरा हुवा पानी कि शर्अ़न उस की मिल्क हो जाए, उसे पीना या वुज़ू या ग़ुस्ल या किसी काम में लाना, उस के मां बाप या जिस का वोह नोकर है उस के सिवा किसी को जाइज़ नहीं, अगर्चे वोह (ना बालिग़) इजाज़त भी दे दे, अगर वुज़ू कर लिया तो वुज़ू हो जाएगा और गुनहगार होगा, यहां से मुअ़ल्लिमीन (या'नी असातिज़ा) को सबक़ लेना चाहिये कि अक्सर वोह ना बालिग़ बच्चों से पानी भरवा कर अपने काम में लाया करते हैं।

(बहारे शरीअ़त, 1/334, ह़िस्सा : 2, मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/57)

सुवाल : क्या येह एह़तियात़ करनी चाहिये कि जब सेठ अपने मुलाज़िम को अच्छा सा निवाला दे तो फिर उस के बा'द कोई बड़ा काम न ले वरना उसे यूं लगेगा कि कोई काम करवाना था तब ही मुझे येह निवाला खिलाया है वरना रोज़ तो नहीं खिलाता ?

जवाब : सेठ एक निवाला खिलाए या पूरी थाली या कुछ भी न खिलाए मगर वोह इतना कर सकता है कि इजारे (नोकरी में) और उ़र्फ़ से हट कर नोकर से काम न ले। उ़र्फ़ के अन्दर रहते हुए बड़ा काम हो या छोटा वोह तो सेठ लेगा क्यूं कि वोह इसी के पैसे दे रहा है। निवाला न भी खिलाए जब भी वोह काम तो लेगा। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/402)

सुवाल : मुलाज़िम के तअ़ल्लुक़ से दिल में तकब्बुर न आए, इस का ह़ल इर्शाद फ़रमा दीजिये।

जवाब : सेठ मुलाज़िम पर शफ़्क़त करे, उस पर सख़ावत करे, जैसे उ़म्दा कपड़े ख़ुद लिये एक जोड़ा उस को भी सिलवा दे। इसी त़रह़ ईद के मौक़अ़

पर थोड़ा दिल खोल कर दे, अगर कभी अच्छी ग़िज़ा पकाई तो उसे भी पेश कर दे। जिस फल का सीज़न आया मसलन आम है तो उस की पेटी दे दे। बक़र ईद आई, ख़ुद क़ुरबानी करता है तो एक बकरा कटाई की क़ीमत के साथ मुलाज़िम को दे दे ताकि उस के बच्चे भी ख़ुश हो जाएं। बकरे का उस को मालिक कर दे या येह कह दे कि सरकार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की त़रफ़ से तुम क़ुरबानी कर देना। इस त़रह़ शफ़्क़त देंगे तो اِنْ شَآءَاللّٰه मुलाज़िम के तअ़ल्लुक़ से तकब्बुर क़रीब नहीं आएगा। अपनी औलाद के साथ बन्दा इस त़रह़ की शफ़्क़त करता ही है तो अपने मुलाज़िम के साथ भी करनी चाहिये। नौकर बेचारा ऐसी ख़िदमत कर रहा होता है कि औलाद भी ऐसी ख़िदमत बसा अवक़ात नहीं करती। येह बात तस्लीम है कि मुलाज़िम पैसे ले कर ख़िदमत करता है लेकिन औलाद को भी तो बन्दा पैसे देता है। फिर येह क्या बात है कि मुलाज़िम को ह़क़ीर समझते हैं और औलाद को आंखों पर बिठाते हैं। ठीक है औलाद को भी प्यार दें, सिलए रेह़मी उन का भी ह़क़ है लेकिन मुलाज़िमीन के साथ भी अच्छा रवय्या अपनाएं। **अल्लाह** पाक ने आप को साह़िबे ह़ैसिय्यत (मालदार) बनाया है जभी आप ने 10 मुलाज़िम रखे हैं तो ख़ुद को उन की जगह रख कर सोचें कि अगर आप मुलाज़िम होते तो अपने साथ किस क़िस्म का रवय्या पसन्द करते ? जब आप मुलाज़िमीन का ख़याल रखेंगे तो येह اِنْ شَآءَاللّٰه टूट कर आप की ख़िदमत करेंगे और ऐसी वफ़ादारी का इज़्हार करेंगे कि शायद औलाद भी ऐसा न करे। आप के लिये जान तक क़ुरबान कर देंगे। बिलफ़र्ज़ अगर कोई मुलाज़िम बे वफ़ा भी निकला तो औलाद भी बे वफ़ा निकलती है और अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस छोड़ आती है, पैसे ले कर भाग जाती है

या वालिद के नाम पर क़र्ज़ ले कर भाग जाती है। औलाद भी तो इस्लामी तरबियत न होने की वज्ह से ऐसा बहुत कुछ कर रही होती है। इस्लामी घरानों में ऐसे वाक़िआ़त सुनने को नहीं मिलते लेकिन मॉडर्न और सिर्फ़ दुन्यवी ता'लीम देने वाले मालदारों के यहां इस त़रह़ के वाक़िआ़त ज़ियादा होते हैं। ग़रीबों और मज़्हबी घरानों में निस्बतन ऐसा कम होता है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/404)

सुवाल : मैं एक इदारे में काम करता हूं जहां सेठ की त़रफ़ से मुझ समेत किसी भी मुलाज़िम को मस्जिद में बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ऐसी सूरते ह़ाल में जमाअ़त छोड़ने का गुनाह किस के ज़िम्मे है ?

जवाब : जहां मस्जिद मौजूद हो और जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने में कोई शर्ई उ़ज़्र भी न हो तो वहां बा जमाअ़त नमाज़ अदा करना वाजिब है। अब अगर कोई सेठ अपने मुलाज़िमीन को बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ने से रोकेगा तो वोह और जमाअ़त छोड़ने वाले मुलाज़िमीन सब ही गुनहगार होंगे और ऐसी मुलाज़मत करना भी जाइज़ न होगा। बा'ज़ मक़ामात ऐसे होते हैं कि जहां मीलों मील तक मसाजिद ही नहीं होतीं तो ऐसी जगहों पर जमाअ़त वाजिब नहीं होती। अलबत्ता ऐसी सूरत में अगर सेठ नमाज़ पढ़ने से भी रोकता हो जिस के बाइ़स मुलाज़िमीन नमाज़ न पढ़ते हों तो ऐसी नोकरी ही जाइज़ नहीं। (जहन्नम के ख़त़रात, स. 192, मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/355)

सुवाल : ऑफ़िस की चीज़ें मसलन प्रिन्टर और फ़ोटो कॉपी मशीन वग़ैरा को अगर कोई मुलाज़िम अपने ज़ाती इस्ति'माल में लाना चाहे तो किस से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी ?

जवाब : अगर वक़्फ़ की चीज़ें हैं तब तो किसी से इजाज़त लेना काफ़ी न होगा और अगर प्राइवेट हैं तो अस्ल मालिक या जिसे उस ने अपना नुमाइन्दा बनाया हो और इख़्तियार दिया हो उस की इजाज़त से इस्ति'माल कर सकते हैं। बा'ज़ अवक़ात अस्ल मालिक की त़रफ़ से मेनेजर और इस त़रह़ के बड़े ओ़हदे दारान को छोटी मोटी चीज़ों के इख़्तियारात दिये जाते होंगे लिहाज़ा अगर उन्हें इख़्तियारात दिये हुए हैं तो उन से इजाज़त ले कर इस्ति'माल कर सकेंगे वरना इस्ति'माल नहीं कर सकते। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/362)

सुवाल : आज कल ज़ियादा तर मुलाज़िमीन के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता, सेठ किसी मुआ़मले में उन के साथ तआ़वुन नहीं करते और अगर मुलाज़िम को कोई मस्अला हो तो उसे ह़ल नहीं करते, यूं मुलाज़िमीन बड़ी मुश्किल में होते हैं, मुलाज़िमीन के हुक़ूक़ के ह़वाले से कुछ राहनुमाई फ़रमा दीजिये।

जवाब : मुलाज़िमीन के भी हुक़ूक़ हैं और सेठ के भी हुक़ूक़ हैं। बा'ज़ अवक़ात सेठ मुलाज़िमीन पर ज़ुल्म कर रहा होता है और अगर मुलाज़िम ऐसा है कि जिस की सेठ को मोह़ताजी है, जैसा कि बा'ज़ मुलाज़िमीन ऐसे पावरफ़ुल होते हैं कि कारोबार संभाले होते हैं और उन्हें सारे रास्ते पता होते हैं तो यूं वोह बड़े क़ीमती होते हैं और सेठ को चला रहे होते हैं तो ऐसे मुलाज़िमीन बा'ज़ अवक़ात सेठ को खिलौना बनाए हुए होते हैं लिहाज़ा दोनों त़रफ़ से जो भी ज़ुल्म करेगा वोह गुनाहगार होगा। ज़ियादा तर सेठों की शिकायत की जाती है कि येह लोग ज़ुल्म करते हैं लेकिन हर सेठ ऐसा नहीं होता बल्कि बा'ज़ सेठ ऐसे भी होते हैं जो मुलाज़िमीन को औलाद की त़रह़ रखते हैं और उन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आते हैं। मुलाज़िम को

भी चाहिये कि सेठ के साथ अच्छा सुलूक करे, वक़्त पर उसे काम कर के दे और उस के माल, आल औलाद और घर में ख़ियानत न करे। अगर मुलाज़िम का किरदार सुथरा होगा तो सेठ अख़्लाक़ी तौर पर ख़ुद ब ख़ुद उस के साथ अच्छा रवय्या इख़्तियार करने पर मजबूर हो जाएगा। आम तौर पर ताली दोनों हाथों से बज रही होती है, ताहम सेठ को चाहिये वोह मुलाज़िम का ख़याल रखे, उसे वक़्त पर तनख़्वाह दे और तनख़्वाह के लिये धक्के न खिलाए मसलन परसों दूंगा या तरसों दूंगा, कर के बेचारे को तंग न करे। जिस तरह हमारे यहां पहली तारीख़ को तनख़्वाह देने का उ़र्फ़ है तो पहली तारीख़ को तनख़्वाह दे दे। याद रहे ! जो कम तनख़्वाह वाले मुलाज़िमीन होते हैं, महीने की आख़िरी तारीख़ों में उन की तनख़्वाह ख़त्म हो जाती है और उन पर क़र्ज़े चढ़े होते हैं लिहाज़ा अगर सेठ एहसान करना चाहें तो पहली तारीख़ से दो दिन पहले उन्हें तनख़्वाह दे दें ताकि येह बिचारे अपने क़र्ज़े वग़ैरा उतार सकें लेकिन ऐसा करना सेठों के लिये लाज़िम नहीं है। इसी तरह सेठों को चाहिये कि ईद और शादी बियाह के मौक़अ़ पर मुलाज़िमीन को तहाइफ़ दें ताकि उन का दिल ख़ुश हो, येह देना अगर्चे फ़र्ज़ नहीं कि अगर नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे लेकिन फिर भी देते रहें। यूं ही सेठ के घर में कोई अच्छी चीज़ पके तो वोह मुलाज़िम को भी खिलाए कि इस तरह करने से मुलाज़िम ख़ुद ब ख़ुद वफ़ादारी करेगा और सेठ की महब्बत उस के दिल में घर कर जाएगी। अगर सेठ और मुलाज़िमीन एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक करेंगे तो اِنْ شَآءَاللّٰه हमारा मुआ़शरा सहीह़ हो जाएगा और इस से ज़ुल्म का क़ल्अ़ क़म्अ़ (ख़ातिमा) होगा।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/506)

सुवाल : मैं प्रेस का काम करता हूं, हमारे पास उ़मूमन प्रिन्टिंग एजन्सियों वाले अपनी प्लेटें छोड़ जाते हैं और हम ने येह लिख कर लगाया हुवा है कि "15 दिन के बा'द हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे ।" इस के बा वुजूद हम अख़्लाक़ी त़ौर पर महीने दो महीने तक प्लेटें संभाल कर रखते हैं और उस के बा'द हम उन प्लेटों को ज़ाएअ़ कर देते हैं या बेच देते हैं । येह इर्शाद फ़रमाइये कि हमारा उन प्लेटों को बेचना कैसा है और प्लेटें बिक जाने के बा'द प्लेटों का तक़ाज़ा करना कैसा है ?

जवाब : आप की बातों से ऐसा लग रहा है कि प्लेटें वापस लेने और देने का उ़र्फ़ है, ऐसी सूरत में आप का येह कह देना कि "15 दिन के बा'द हम ज़िम्मेदार नहीं हैं" येह शर्त़ शर्अ़न ग़लत़ है । जिस की प्लेटें हैं उसे वापस करनी ही होंगी, चाहे वोह 15 दिन बा'द आए, महीने बा'द आए या 100 साल बा'द आए, क्यूं कि मालिक अपनी चीज़ के मुत़ालबे का ह़क़ रखता है और अपनी चीज़ मांग सकता है । इस का ह़ल येह है कि जिन की प्लेटें हों उन्हें फ़ोन कर दिया जाए कि "आप की प्लेटें रखी हैं, ले जाइये ।" या अगर क़रीबी जगह है तो किसी मुलाज़िम के ज़रीए़ प्लेटें वहां पहुंचा दें, क्यूं कि आप के लिये येह प्लेटें रख लेना और इस्ति'माल में ले आना जाइज़ नहीं है । अलबत्ता अगर प्लेटों का मालिक कहता है कि "मुझे प्लेटें नहीं चाहिएं, तुम ले लो" तो फिर आप का लेना जाइज़ हो जाएगा ।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/64)

सुवाल : तिजारत करने वाले बा'ज़ लोगों को अगर येह कहा जाए कि आप अपने कारोबार के बारे में शर्ई राहनुमाई ले लीजिये या दारुल इफ़्ता चले जाइये तो वोह कहते हैं कि "न हम झूट बोलते हैं और न ही किसी का पैसा

खाते हैं, पूरी ज़कात भी देते हैं, इस लिये हमें शरई राहनुमाई लेना ज़रूरी नहीं है।'' इस बारे में आप क्या फ़रमाते हैं ?[1]

जवाब : अगर मैं येह कहूं कि ''इस दौर में 99.9 फ़ीसद Businessman (या'नी ताजिर) ऐसे हैं जिन को Business (या'नी तिजारत) के मसाइल मा'लूम नहीं'' तो शायद येह मुबालग़ा न हो। सिर्फ़ बातें कर रहे होते हैं कि ''हम तो **अल्लाह अल्लाह** कर रहे हैं, हमें ज़ियादा लालच नहीं है, बच्चों के लिये रोज़ी रोटी कमाते हैं बस'' ह़ालां कि ह़राम घसीट घसीट (कमा कमा) कर अपने एकाउन्ट में भर रहे होते हैं और उन्हें इस का पता भी नहीं चलता। येह समझ रहे होते हैं कि ''मैं ने कौन सी शराब की दुकान खोली है ! या मैं कौन सा सूद का काम कर रहा हूं !'' ह़ालां कि बात बात पर झूट बोल रहे होते और धोका दे रहे होते हैं। इन चीज़ों को येह Serious (सन्जीदा) ही नहीं लेते, समझते हैं कि ''कारोबार में येह सब चलता है, इन चीज़ों के बिग़ैर कारोबार कैसे होगा ! झूट न बोलो तो चीज़ बिकती ही नहीं है'' نَعُوْذُ بِاللّٰه ! येह शैत़ान का बनाया हुवा ज़ेह्न है। जब येह ह़ाल होगा तो बरकत कैसे होगी ? नमाज़ों में दिल कैसे लगेगा ? ख़ुशूओ़ ख़ुज़ूअ़ कैसे आएगा ? रिक़्क़त कैसे आएगी ? गुनाहों से नफ़रत कैसे बढ़ेगी ? जो कारोबारी ह़ज़रात मुझे सुन रहे हैं वोह ''दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत'' से अपने कारोबार की Scanning (या'नी तफ़्तीश) करवा लें, इस के लिये बा क़ाइदा ह़ाज़िर होना पड़ेगा या अगर ह़ाज़िर होना मुम्किन नहीं तो इन्टरनेट वग़ैरा के ज़रीए़ ही राबित़ा कर लें और अपने कारोबार की शरई राहनुमाई लें। इस के बिग़ैर अपने बाल बच्चों को ह़लाल रोज़ी खिलाना बहुत मुश्किल है। मैं

1... येह सुवाल शो'बा मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत ने क़ाइम किया है जब कि जवाब अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه का ही है।

ने बिल्कुल दोटोक और जनरल बात की है, किसी के कारोबार पर कोई हुक्म नहीं लगाया। सब को मसाइल सीखने चाहिएं। मुलाज़िम हैं तो मुलाज़मत के और सेठ हैं तो मुलाज़िम रखने और सेठ बनने के मसाइल सीखना फ़र्ज़ हैं। (फ़तावा रज़विय्या, 23/623, 626 मुलख़्ख़सन) अगर येह कहेंगे कि "यार! हम इस चक्कर में नहीं पड़ते" तो क़ियामत के दिन भी कह देना कि "हम इस चक्कर में नहीं पड़ते।" نَعُوْذُ بِاللّٰه ! कहीं ऐसा न हो कि जहन्नम में डाल दिया जाए। जब हम दुन्या में आए हैं और اَلْحَمْدُ لِلّٰه मुसल्मान हैं तो हमें **अल्लाह** व रसूल के अह़कामात मानने ही पड़ेंगे, इस के बिग़ैर छुटकारा नहीं है। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। **अल्लाह** करीम हम को कोशिश करने वाला बनाए। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/75)

सुवाल : मुलाज़िमीन से मालिक रोज़े की ह़ालत में आ़म दिनों की त़रह़ काम लेता हो, एह़सास तक न करता हो तो ऐसी सूरत में मुलाज़िमीन को क्या करना चाहिये ?

जवाब : मालिक अपने मुलाज़िमीन को रोज़े की ह़ालत में रिआ़यत नहीं देता और पूरा काम लेता है तो मालिक को ऐसा करने के बजाए रोज़ेदार के साथ एह़सान करना चाहिये।[1] बहर ह़ाल काम की वज्ह से रोज़ा मुआ़फ़ हो जाए या क़ज़ा करना जाइज़ हो ऐसा नहीं हो सकता। अगर रोज़े की ह़ालत में काम नहीं हो सकता तो कोई और रोज़ी का सबब तलाश करें मगर काम की वज्ह से एक रोज़ा भी तर्क नहीं कर सकते और न क़ज़ा कर सकते हैं।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/309)

1... ह़दीसे पाक में है : जो इस महीने (या'नी रमज़ान) में अपने ग़ुलाम पर तख़्फ़ीफ़ करे (या'नी काम कम ले) **अल्लाह** पाक उसे बख़्श देगा और जहन्नम से आज़ाद फ़रमा देगा। (شعب الایمان، 3/305، حدیث:3608، ابن خزیمہ، 3/192، حدیث:1887)

सुवाल : बा'ज़ वालिदैन बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो जाने पर उन्हें मार पड़ने और नम्बर कटने से बचाने के लिये झूटी एप्लीकेशन लिख कर भेज देते हैं और जान पहचान वालों से झूटे सर्टीफ़िकेट भी बनवा लेते हैं। इसी त़रह़ दफ़ातिर में होता है कि अगर मुलाज़िम को छुट्टी लेना हो तो वोह बीमारी की झूटी एप्लीकेशन भेज देता है। क्या इस त़रह़ झूटी दरख़्वास्तें देने वालों को भी इस ह़दीसे पाक "झूटे बीमार न बनो कि वाक़ेई बीमार हो जाओगे (مسند الفردوس، 2/421، حدیث:7624)" से इ़ब्रत ह़ासिल करनी चाहिये ?

जवाब : जो वालिदैन और मुलाज़िम इस त़रह़ कर रहे हैं वोह झूट बोल कर गुनाहगार और अ़ज़ाबे नार के ह़क़दार बन रहे हैं। जो वालिदैन येह कह रहे हैं कि "बच्चे बीमार थे" ह़ालां कि वोह जानते हैं कि बच्चे बीमार नहीं थे बल्कि मेहमान बन कर ह़ल्वा खाने गए थे। यूं ही बीमारी की झूटी दरख़्वास्त दे कर छुट्टी करने वाला मुलाज़िम भी सैर वग़ैरा करने गया होगा। याद रखिये ! बीमार होना बुरा नहीं है बल्कि बीमारी तो रह़मत है, अलबत्ता झूट बोलने में आख़िरत का अ़ज़ाब है। नीज़ येह गुनाह का मरज़ जिस्मानी मरज़ से ज़ियादा तबाह कुन है लिहाज़ा ऐसे वालिदैन और मुलाज़िमीन पर तौबा फ़र्ज़ है। जो मुलाज़िम झूट बोल कर छुट्टी कर रहा है उस की तनख़्वाह तो बीमारी में छुट्टी करने पर भी कटती होगी। (इस मौक़अ़ पर निगरान ने फ़रमाया :) प्राइवेट कम्पनियों में मुआ़मला अलग होता है। जब कि हमारे हां वक़्फ़ के मसाइल हैं। **अल्लाह** पाक हमारे मुफ़्तियाने किराम को सलामत रखे, इन की राहनुमाई में हम ने एक इजारा फ़ॉर्म बनाया हुवा है जिस में O.T., कटौती और लेट मिनट वग़ैरा का इन्तिज़ाम बना हुवा है। हमारे हां

अजीरों का ऐसा निज़ाम है कि अगर कोई बहुत बड़ी इन्डस्ट्री और फ़ेक्ट्री वाला भी इसे देखेगा तो वोह कहेगा कि वाक़ेई दा'वते इस्लामी के शो'बाजात में अजीरों का एक मिसाली निज़ाम है। क्यूं कि हमारे हां जो भी अजीरों का निज़ाम है वोह शर्ई क़ानून के मुताबिक़ है, येही वज्ह है कि हमारा येह निज़ाम बहुत सारे अजीरों और इदारों की बचत का ज़रीआ़ है। (अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने फ़रमाया :) बीमार होने से भी बचेगा और मा'मूली बीमारी में भी कटौती से बचने के लिये नोकरी पर आएगा। याद रखिये ! शर्ई क़वानीन पर अ़मल करने में बरकत है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/35)

सुवाल : "सनद और तजरिबा" में से कौन सी चीज़ ज़ियादा अहम है ? नीज़ येह भी इर्शाद फ़रमाइये कि जिस के पास तजरिबा और हुनर है, लेकिन उस के पास ता'लीम नहीं, क्या उसे "पढ़ा लिखा" कहा जाएगा ?

जवाब : इस की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं : ﴾1﴿ किसी के पास इ़ल्म और तजरिबा दोनों हों तो ऐसा शख़्स ज़ियादा काम्याब होता है। ﴾2﴿ किसी के पास सिर्फ़ इ़ल्म हो हुनर या तजरिबा न हो तो ऐसा शख़्स आ़म तौ़र पर तजरिबा न होने की वज्ह से ज़ियादा काम्याब नहीं हो पाता। कई जगहों पर तजरिबे की बुन्याद पर मुलाज़मत दी जाती है ह़त्ता कि सनद भी मांग ली जाती है जिस के बाइ़स ता'लीम याफ़्ता ना तजरिबे कार शख़्स बे रोज़गार रह जाता है, जब कि कम पढ़ा लिखा तजरिबे कार शख़्स बरसरे रोज़गार हो जाता है, अलबत्ता कभी इस का उलट भी हो जाता है। बहर ह़ाल कभी सनद काम कर जाती है और कभी महारत।

याद रखिये ! सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُم कसीर इ़ल्म वाले थे मगर उन के पास मुरव्वजा सनद (आज की त़रह़ का सर्टीफ़िकेट) नहीं थी, लिहाज़ा इ़ल्म होना चाहिये, क्यूं कि सनद तो नक़्ली भी बन सकती है, मुम्किन है उस के ज़रीए़ इ़ल्म न होने के बा वुजूद नोकरी मिल जाए, मगर तजरिबा नक़्ली नहीं हो सकता, कितने ही ता'लीम याफ़्ता बे रोज़गारी की वज्ह से ख़ुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन तजरिबा कार बे रोज़गार नहीं रहता।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/419)

सुवाल : क्या ऑफ़िस जाने के लिये रोज़े में दाढ़ी मुंडवा सकता हूं ?

जवाब : दाढ़ी मुंडवाना और एक मुठ्ठी से घटाना ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। (मल्फ़ूज़ाते आ'ला ह़ज़रत, स. 141, फ़तावा रज़विय्या, 6/505) रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की ह़ालत में येह काम करना तो और ज़ियादा बुरा है, अलबत्ता उस का फ़र्ज़ रोज़ा अदा हो जाएगा लेकिन गुनाह करने से रोज़े की नूरानिय्यत जाती रहती है। (फ़तावा रज़विय्या, 10/556) गुनाह की हलाकत ख़ैज़ियां बहुत ज़ियादा हैं और ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक और रोज़े में गुनाह करने के बारे में फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم है : जिस ने रमज़ान में कोई गुनाह किया तो **अल्लाह** पाक उस के एक साल के आ'माल बरबाद फ़रमा देगा। (معجم اوسط، 2/414، حدیث:3688) लिहाज़ा बन्दा न रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करे और न रमज़ानुल मुबारक के इ़लावा। याद रखिये ! ऐसी नोकरी शर्अ़न जाइज़ नहीं जिस में येह शर्त़ हो कि रोज़ दाढ़ी मुंडवा कर आना है या दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है लिहाज़ा ऐसी नोकरी को छोड़ कर दूसरी नोकरी इख़्तियार करें। (फ़तावा बह्रुल उ़लूम, 1/311) येह शर्ई मस्अला है जो मैं ने

बयान किया है। आप किसी आ़लिमे दीन और मुफ़्ती साहि़ब से पूछेंगे तो वोह भी मेरी बात की ताईद करेंगे। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/39)

सुवाल : मेरे पास एक मोटर साइकिल है जिस में पेट्रोल कम्पनी डलवाती है, क्या उस मोटर साइकिल को मैं घर के कामकाज के लिये इस्ति'माल कर सकता हूं नीज़ क्या मेरे भाई येह मोटर साइकिल चला सकते हैं ?

जवाब : जिस कम्पनी की त़रफ़ से आप को मोटर साइकिल दी गई है अगर वोह प्राइवेट कम्पनी है और मोटर साइकिल को घरेलू कामकाज के लिये इस्ति'माल की इजाज़त भी मिली हुई है तो उसे इस्ति'माल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप की सरकारी नोकरी है या कम्पनी की त़रफ़ से घरेलू कामकाज के लिये इस्ति'माल करने की इजाज़त नहीं तो जितना उ़र्फ़ हो सिर्फ़ उतना ही इस्ति'माल कर सकते हैं, मगर येह बहुत मुश्किल है कि कोई कम्पनी यूं कहे कि "आप के भाई और दोस्त भी येह मोटर साइकिल इस्ति'माल कर सकते हैं।" कम्पनी की मोटर साइकिल को घरेलू कामकाज के लिये इस्ति'माल करने में कितना उ़र्फ़ है इस बारे में मुफ़्ती साहि़ब राहनुमाई फ़रमाएंगे।

(इस मौक़अ़ पर मुफ़्ती साहि़ब ने फ़रमाया :) बा'ज़ अवक़ात कम्पनी की त़रफ़ से मुकम्मल इजाज़त होती है कि जिस काम में चाहें इस्ति'माल करें। बिलफ़र्ज़ मोटर साइकिल पर ज़ियादा काम होता है तो भी उसी को पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, जितना महीने भर में इस्ति'माल करे और चाहे किसी भी मक़्सद में इस्ति'माल करे बा'द में कम्पनी उसे इतनी रक़म दे देगी। बहर ह़ाल जैसे क़वानीन होंगे उसी के मुत़ाबिक़ अ़मल करना होगा।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/87)

सुवाल : एक आदमी सरकारी पोस्ट पर है और लोगों से उस के ज़ाती नौइय्यत के तअ़ल्लुक़ात बन जाते हैं और येह लोग तह़ाइफ़ ले आते हैं तो क्या इस सूरत में तह़ाइफ़ क़बूल करना रिश्वत के ज़ुम्रे (हुक्म) में आएगा ?

जवाब : पहले से तअ़ल्लुक़ात और तह़ाइफ़ का लेनदेन था और बा'द में इस की गवर्नमेन्ट Job (या'नी मुलाज़मत) लग गई और इस से काम निकलवाया जा सकता है, या'नी क़ह्रो तसल्लुत़ इसे किसी त़रह़ का ह़ासिल है तो अब भी पहले की त़रह़ नॉर्मल लेनदेन है तो येह चलेगा। (बहारे शरीअ़त, 2/900, ह़िस्सा : 12 माख़ूज़न) अलबत्ता अगर इस के ज़रीए़ से अपना कोई काम निकलवाना है तो अब पुराने त़रीक़े के मुत़ाबिक़ भी होने वाले तह़ाइफ़ का लेनदेन रिश्वत में चला जाएगा। (बहारे शरीअ़त, 2/901, ह़िस्सा : 12 माख़ूज़न) इसी त़रह़ अगर ओ़हदे की वज्ह से लेनदेन का सिल्सिला बढ़ गया, दी जाने वाली चीज़ की क़ीमत बढ़ गई, साइज़ बढ़ गया और मिक़्दार बढ़ गई तो येह ज़ाइद ह़िस्सा रिश्वत है। (बहारे शरीअ़त, 2/900, ह़िस्सा : 12 माख़ूज़न) हां ! अगर येह शख़्स मालदार हो गया इस लिये आइटम बढ़ा दिये और डिशें बढ़ा दी तो इस का हुक्म अलग है (या'नी क़बूल करने में ह़रज नहीं)। (बहारे शरीअ़त, 2/900, 901, ह़िस्सा : 12) यूं ही अब इस की ख़ुसूसी दा'वत करना कि अगर येह न आता तो दा'वत ही न होती, तो अगर्चे इस की वज्ह से दो चार और को भी दा'वत दे दी तब भी येह ख़ुसूसी दा'वत रिश्वत में दाख़िल है। (बहारे शरीअ़त, 2/900, 901, ह़िस्सा : 12) अलबत्ता मुत़्लक़न जो दा'वत होती है वोह रिश्वत नहीं होती जैसे मा तह़त की त़रफ़ से शादी की दा'वत आई और आप उस में चले गए। इस में भी अगर आ़म मेहमानों को सादा डिशें दी

गई और अफ़्सर, निगरान या बड़े ओ़हदे दारान को स्पेशल डिशें पेश की गईं तो येह स्पेशल डिशें रिश्वत में शुमार होंगी। हां ! जो सब को खिलाया जा रहा है अगर वोही अफ़्सर या निगरान को भी खिलाया जा रहा है तो रिश्वत नहीं। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/87)

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! जिस को मुलाज़िम रखना है उसे मुलाज़िम रखने के और जिस को मुलाज़मत करनी है उसे मुलाज़मत के ज़रूरी अह़काम जानना फ़र्ज़ हैं। अगर ह़स्बे ह़ाल नहीं सीखेगा तो गुनहगार और अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार होगा और न जानने की वज्ह से बार बार गुनाहों में मुब्तला होना मज़ीद बरआं (या'नी इस के इलावा)। इस ह़वाले से मज़ीद मा'लूमात के लिये अमीरे अहले सुन्नत के रिसाले "ह़लाल त़रीक़े से कमाने के 50 मदनी फूल" और "बहारे शरीअ़त" जिल्द 3 सफ़ह़ा 104 ता 184 "इजारे का बयान" पढ़ लीजिये।

अगले हफ़्ते का रिसाला